रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092023-249046
CG-DL-E-29092023-249046

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4071]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/आश्विन 5 , 1945
No. 4071]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ASVINA 5, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2023

का.आ. 4241(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को एल्युमिनियम एवं एल्युमिनियम एलॉय प्रोडक्टस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग – (1) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि लघु उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के बाद लागू होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – भारतीय मानक ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4.उल्लंघन के लिए पेनल्टी – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	**भारतीय मानक**	**भारतीय मानक का शीर्षक**
(1)	(2)	(3)
एल्युमिनियम एवं एल्युमिनियम एलॉय प्रोडक्टस	7092 (भाग 1):1992	सिंचाई प्रयोजनों के लिए एल्युमिनियम एलॉय ट्यूब्स – वेल्डेड ट्यूब्स
	7092 (भाग 2):1987	सिंचाई प्रयोजनों के लिए एल्युमिनियम एलॉय ट्यूब्स – एक्सट्रूडेड ट्यूब्स
	5484:1997	सतत कास्टिंग और रोलिंग द्वारा निर्मित ईसी ग्रेड एल्यूमीनियम रॉड
	733:1983	रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय बार, छड़ें और अनुभाग (सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए)
	734:1975	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय, फोर्जिंग स्टॉक और फोर्जिंग
	736:1986	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय प्लेट
	737:2008	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय शीट और स्ट्रिप
	739:1992	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय के तार
	740:1977	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय रिवेट स्टॉक
	5082:1998	विद्युत अनुप्रयोगों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय बार, छड़ें, ट्यूब, अनुभाग, प्लेट और शीट
	16011:2012	फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय फॉयल
	17682:2021	एल्यूमीनियम कम्पोजीट पैनल
	1285:2002	रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय - सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए एक्सट्रूडेड राउंड ट्यूब और हॉलो सेक्शन

	2067:1975	विद्युत प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम तार
	21:1992	बर्तनों के निर्माण के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय
	1254:2007	कॉरूगेटेड एल्यूमीनियम शीट
	7902:2001	एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए एल्यूमीनियम एलॉय फोर्जिंगस्टॉक और फोर्जिंग (एलॉय 24345)।

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/7/2023–एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 25th September, 2023

S.O. 4241(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) This Order may be called the Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six month from the date of publication of this notification in official gazette:

2. Compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standard as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that in relation to micro enterprises, as defined in clause (h) and (m) respectively of Section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of twelve month from the date of publication of this notification:

Provided also that in relation to small enterprises, as defined in clause (h) and (m) respectively of Section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of nine month from the date of publication of this notification.

3. **Certification and enforcement authority. -** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. Penalty for Contravention. – Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	**Indian Standard**	**Title of Indian Standard**
(1)	**(2)**	**(3)**
Aluminium and Aluminium Alloy Products	7092 (Part 1):1992	Aluminium alloy tubes for irrigation purposes - welded tubes
	7092 (Part 2):1987	Aluminium alloy tube for irrigation purposes - extruded tube
	5484:1997	EC Grade Aluminium Rod produced by Continuous

		Casting and Rolling
	733:1983	Wrought aluminium and aluminium alloy bars, rods and sections (For General Engineering Purposes)
	734:1975	Wrought aluminium and aluminium alloys, forging stock and forgings for general engineering purposes
	736:1986	Wrought aluminium and aluminium alloy plate for general engineering purposes
	737:2008	Wrought aluminium and aluminium alloy sheet and strip for general engineering purposes
	739:1992	Wrought aluminium and aluminium alloy wire for general engineering purposes
	740:1977	Wrought aluminium and aluminium alloy rivet stock for general engineering purposes
	5082:1998	Wrought aluminium and aluminium alloy bars, rods, tubes, sections, plates and sheets for electrical applications
	16011:2012	Aluminium and aluminium alloy foil for pharmaceutical packaging
	17682:2021	Aluminium composite panel
	1285:2002	Wrought aluminium and aluminium alloys-Extruded round tube and hollow sections for general engineering purposes
	2067:1975	Wrought Aluminium Wire for Electrical Purposes
	21:1992	Wrought aluminium and aluminium alloys for manufacture of utensils
	1254:2007	Corrugated Aluminium Sheet
	7902:2001	Aluminium alloy forging stock and forgings (Alloy 24345) for aerospace applications

Note : For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/7/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.09.29 19:34:48 +05'30'